मेरठ विकास प्राधिकरण

की

84 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 05–7–2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05–07–08 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05–7–08 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 6–00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

1.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती कामिनी चौहान रतन	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3	श्री ओ0पी0 आर्य	प्रतिनिधि– नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
4.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री ए0के0 त्यागी	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–4

शताब्दीनगर, गंगानगर, रक्षापुरम आवासीय योजनाओं हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण का प्रस्ताव–

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

(1) मद सं0–3

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–9

प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–4

लोहियानगर योजना में अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय सम्बन्धी प्रस्ताव

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–1

हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने के लिए 45 मी0 चौडे महायोजना मार्ग तथा मार्ग के दोनों ओर व हापुड़ मार्ग की जमीन पर आवासीय/व्यवसायिक प्रयोग हेतु भूमि का अर्जन प्रस्ताव

मद सं0–2

दिल्ली रोड पर निर्मित बरात घर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

मद सं0–4

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

(1) मद सं0–1

वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय का वित्तीय विशलेषण राजस्व प्राप्तियां।

मद सं0—8

मै0 दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउण्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115/07 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0—1

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा देय धनराशि पूर्ण जमा कर दी गयी है परन्तु विवाद अथवा मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट ''एफ'' में कैंची उद्योग के भूखंण्डो के आवंटन की शर्तो में शिथिलता किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मद सं0 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर एवं रक्षापुरम योजना की अर्जित भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

अनुपूरक मद सं01

दिल्ली देहरादून बाईपास मार्ग, मेरठ स्थित "एस्पन गार्डेन" का तलपट मानचित्र

अनुपूरक मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच—बीच में अर्जन से छूटे नम्बरान की भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

अनुपूरक मद सं0 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में अर्जित ग्राम कुण्डा की भूमि खसरा सं0 372 क्षेत्रफल 1—7—0 बीघा को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक में सम्मिलित पूर्व बैठकों की अनुपालन आख्या पर समय अभाव के कारण बोर्ड द्वारा विचार—विमर्श नहीं हो सका। अतः आगामी बोर्ड बैठक में पुनः रखा जाये।

मद सं0–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटियों द्वारा देय धनराशि पूर्ण जमा कर दी गयी है परन्तु विवाद अथवा मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि गंगानगर आवासीय योजना के भूखण्ड सं0 एन–23 की रजिस्ट्री दो व्यक्तियों को कर दी गयी है, इसमें जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई है, उन्हें एन–23 दे दिया जाये तथा जिसकी रजिस्ट्री बाद में हुई है, उन्हें पी–50 भूखण्ड दे दिया जाये। रजिस्ट्री पर होने वाला खर्चा प्राधिकरण वहन करेगा परन्तु इसकी छतिपूर्ती लिपिक से लेकर स्वीकृति अधिकारी की जाँच कर जिम्मेदारी नियत कर वसूली (रिकवरी) करायी जाये।

गंगानगर एन–36 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिस आवंटी को आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री नहीं हुई है और देय सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी है, उसको भूखण्ड सं0 पी–52 आवंटित कर दिया जाये।

शताब्दीनगर आवासीय योजना के भूखण्ड सं0 5/ए–19 की रजिस्ट्री श्री देवेन्द्र पाल सिंह के पक्ष में हो गयी है। ऐसी दशा में आवंटी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता को सैक्टर 6/ए–70 भूखण्ड आवंटित कर दिया जाये।

दूसरी श्रेणी के प्रस्तावों में जिन्होंने भूमि अर्जित न होने के कारण भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि भूखण्ड सं0 1/ए–135 क्षेत्रफल 180 वर्ग मी0 के स्थान पर भूखण्ड सं0 4 सी/जी–170 आवंटी श्री प्रदीप गुप्ता को परिवर्तित कर आवंटित कर दिया जाये।

शेष प्रस्तावों में क्षेत्रफल 540 वर्ग मी0 के भूखण्ड आवंटित है, उसके सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर नियोजक किसी अन्य विकसित सैक्टर में रिक्त भूमि पर 540 वर्ग मी0 के भूखण्ड सृजित करके प्राधिकरण द्वारा उन्हें आवंटित कर दिया जाये। यह अवश्य देख लिया जाये कि आवंटी द्वारा समस्त देय धनराशि नियमानुसार जमा कर दी गयी है।

तीसरे प्रकार के प्रकरणों में जिनमें भूखण्ड काल्पनिक है, के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा जो परिवर्तन हेतु रिक्त भूखण्ड दर्शाये गये हैं, उन सबको यथा प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गयी तथा वेदव्यासपुरी एवं श्रृद्धापुरी फेस–2 के भूखण्डों के सम्बन्ध में परिवर्तन हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं दिखाये गये हैं, इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि

मुख्य नगर नियोजक इसी योजना में भूखण्ड की उपलब्धता का पता लगाकर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें।

मद सं0 2

दिल्ली देहरादून बाई पास मार्ग, मेरठ स्थित ''एस्पन गार्डेन'' का तलपट मानचित्र।

प्रस्ताव को यथा प्रस्तावित स्वीकृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु संदर्भित किया जाये।

मद सख्या 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में अर्जित ग्राम कुण्डा की भूमि खसरा सख्या–372 क्षेत्रफल 1–7–0 बीघा को अर्जन मुक्त/समायोजित करने के सम्बंध में प्रस्ताव।

विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि अर्जित ग्राम कुण्डा की भूमि खसरा सं0 372 क्षेत्रफल 1–7–0 को नीलामी के माध्यम से आवंटन करने की कार्यवाही की जाये।

मद सं0 4

मै0 टी0 एस0 एस्टेट्स प्रा0लि0 द्वारा 4108.62 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मुख्य मेरठ दिल्ली मार्ग पर एस0जे0एस0 मोटर्स के बराबर में खसरा सं0 85 एवं 87 ग्राम रिठानी पर बारात घर हेतु प्रस्तावना।

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद सं0 5

"इन्टीग्रेटेड अर्बन रिजुविनेशन प्लान" के अध्ययन हेतु कन्सल्टैन्ट के चयन हेतु बजट के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त "इन्टीग्रेटेड अर्बन रिजुविनेशन प्लान" हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में कन्सल्टैन्ट हेतु 10,00,000/–लाख के टेन्टैटिव फण्ड की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–6

मेरठ विकास क्षेत्र में दौराला नगर पंचायत क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदिन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नगर पंचायत क्षेत्र दौराला को प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

मद संख्या–7

मेरठ रूडकी महायोजना मार्ग पर ग्राम–दौराला में रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के पैट्रोल पम्प के निर्माण/शमन की स्वीकृति दिये जाने विषयक

विचारोपरान्त शमन मानचित्र अस्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद सं0–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पॉकेट एम में दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 एम–558 के अद्यतन् क्रेता श्री संजय पुत्र श्री धारा शरण द्वारा आवंटित भूखण्ड की बजाय अन्य भूखण्ड पर निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

अनुपूरक मद सं0–2

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर 5 के पॉकेट डी में आवंटित उच्च वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 डी–201 के आवंटी श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के प्रार्थना पत्र दिनांक 13–6–2008 पर विचारार्थ प्रस्ताव।

प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपूरक मद सं0–3

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 इकाई मेरठ की भूमि का भूउपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

7/7/08

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

बोर्ड बैठक दिनांक : 07–8–2008 कार्यवृत्त